

विवाह एक धार्मिक समारोह है।

विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में।

भारतीय परंपरा में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में रहा है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा हिंदू-विवाह अधि- 1955 द्वारा इसे एक मंडी के रूप में पारिवारिक तरे पर रखा। हिंदू विवाह के तीन प्राथमिक उद्देश्य रहे हैं :-

① धर्म: धार्मिक कार्यों के लिए पत्नी या पत्नी की आवश्यकता।

② पुत्र: संतानों की उत्पत्ति तथा उन्हें सामाजिक वैधता प्रदान कर समाज की निरंतरता बनाए रखना।

मंडी

हिंदू विवाह → उद्देश्य

धर्म पुत्र राशि
(संज्ञा)

महिलाओं से संबंधित
संकेत - 498(A)

द्वारेल हिंसात्मक Act

~~संज्ञा~~

POCSO Act 2012

म.प. के पॉक्सो मामले की
संवेदनशीलता व मानवीय
व्यवहार को संभरना जरूरी

⑩ राष्ट्रीय और विधायकों की शक्ति

विवाह के स्वरूप में नवीन परिवर्तन :-

- विवाह के धार्मिक पक्ष कमजोर ।
- विवाह के नवीन विकल्प की उपस्थिति तथा सामलैंगिक
- विवाह, सिविल ^{लिविंग} रिलेशनशिप आदि ।
- विवाह-विच्छेद की बढ़ती हुई दर ।
- वैवाहिक बलात्कारों की घटनाओं के कारण विवाह जैसी संस्था के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न ।

वैवाहिक बलात्कार :-

चर्चा में क्यों :-

- ① 55 वर्ष कीमती के द्वारा वैवाहिक बलात्कार संबंधित कानून बनाये जाने की बात ।
- ② सर्वोच्च न्यायालय को J.P.C. सेक्शन 375(2) के विरुद्ध आकर दिया गया फैसला ।
- ③ केंद्र सरकार के द्वारा वैवाहिक बलात्कार को आपराधिकृत न रीं जाने संबंधित J.C में अंतर धारणा ।
- ④ कुछ नारीवादी संगठनों के द्वारा इसे अपराधिकृत रीं जाने की मांग ।

वैवाहिक बलात्कार संबंधित कानून :-

- भारतीय संविधान; I.P.C., तथा आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है और न ही इस संबंधित कोई भी कानून स्पष्ट रूप से धारित है। भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 375(2) के अनुसार, यह

कोई व्यक्ति अपनी 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ उसकी ~~सिखा~~ या भतीजी के विरुद्ध संबंध रखता है तो यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आयेगा।

उल्लेखनीय है कि बाल विवाह संरक्षण अधि. 1976 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का विवाह गैर कानूनी है। अतः कानूनी जाटिलता IPC सेक्शन 315(2) को लेकर बढ़ गयी है इसके साथ-साथ POCSO Act की धारा के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ यौन संबंध एक दण्डनीय अपराध है अतः IPC सेक्शन 315(2) में संशोधन की मांग की गयी।

कानून की
18 वर्ष
है 604
अध. 1
(18 वर्ष
विवाहक)

इसके साथ-साथ 5C में भी 18 वर्ष से कम उम्र की वैवाहिक महिला के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंधों को समाप्त बलात्कार की श्रेणी में रखा है तथा दण्ड की व्यवस्था की है इसी सभी कारणों से वैवाहिक बलात्कार को अपराधिकृत किया जाने की मांग की जा रही है।

वैवाहिक बलात्कार के कारण :

- कमजोरी मानसिकता, या विलसत्तात्मकता
- महिलाओं की अपनी सम्पत्ति सम्पत्ति
- धार्मिक कारण - (यानी पश्चिमोत्तर की अवधारणा)
- विरुद्ध मानसिकता
- नारी को उपयोग की वस्तु के रूप में सम्पत्ति
- इससे संबंधित कारन का अभाव।
- मद्यपन या दुर्वसन।

एक में तर्क!

- संविधान के अंतर्गत नार्ति प्राण एवं वैदिक चतुर्वेदा का उल्लंघन।
- विवाह जैसी संस्था में दोनों पक्षों की चकीती आवश्यक।
- महिलाओं के शारीरिक कादन के अभाव के कारण इस प्रकार की बढ़ती घटनाएँ।
- महिलाओं पर इसका नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव।

विषय में तर्क: (आपराधिकृत न विद्ये जाते के संदर्भ में तर्क (भारत सरकार का तर्क) :-

- महिलाओं के शारीरिक प्रताड़ना व शोषण से संबंधित पहलें ही करे कारण अपरिपक्व (IPC सेक्शन 498A, घरेलू हिंसा अधिआदि) अतः नये कानून की आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे न्यायपालिका के समक्ष कादनी जाटलताएँ बढ़ जायेंगी।
- इस प्रकार के कादन से विवाह जैसी संस्था के उद्देश्य पर ही प्रश्न चिह्न लग जायेगा।
- भारतीय परिवेश में विवाह की प्रकृति पं. के देशों की तुलना में अलग है क्योंकि इसमें अभी भी धार्मिक प्रभाव फैलता है अतः पश्चिमी उत्तर आधुनिक मूल्यों को भारतीय परिवेश में नहीं घोषा जा सकता।
- इस प्रकार के मामलों के हद ही निजी प्रकृति के हैं अतः इसमें साक्ष्य का अभाव है वरन् साथ-साथ यह परसतल जाँच संबंधित कादन है जिसमें प्रायः सजा का प्रवधान नहीं होता है।

विगत कुछ दशकों में इस प्रकार के मामलों में इस प्रकार की घाई देखी गयी है अतः इस पर विचार करना आवश्यक है परंतु ऐसी भी व्यापकगत समस्या का समाधान सिर्फ कानूनी

शर पर ही पधार्ति नहीं है बल्कि यह व्यवस्थित रूप सामाजिक नीतिकता से भी जुड़ा है। इसके साथ-साथ कानून के अभाव में इसी भी अध्यापन को न्याय अर्जित नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक विधिक प्रावधानों के साथ-साथ स्त्री पुरुष समानता संबंधित एक कूल्य को भी विकसित करना होगा। शीर्ष वैधानिक प्रावधान बनाये जाने से कानूनी जाईलता में वृद्धि होने के साथ-साथ विवाह के उद्देश्य को भी पुनः मान पहुँच सकता है। अतः इस महिलाओं के लिये कर दीये गये 31 से संबंधित अध्यापन को अवधान की बताये जाने की आवश्यकता अधिक है क्योंकि पहले भी यह व्यवहार में देखा गया है कि कई बार कानून का सदुपयोग होने की वजाय उसका दुरुपयोग अधिक हुआ है।

जेंडर न्यूट्रल कानून की जरूरत

विनय जायसवाल

हाल ही में दिल्ली में 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' नाम से ऐसे पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष आयोग को आज की जरूरत बताया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह ही इसके गठन पर जोर दिया गया। दरअसल पुरुषों का एक वर्ग भी समान प्रभाव का एक आयोग चाहता है, जो उनके संवैधानिक, कानूनी और लैंगिक अधिकारों की आवाज उठाए। इसकी मुख्य वजह है भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के कई प्रावधानों का पुरुषों के लिए लैंगिक रूप से भेदभावकारी होना। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं जो पुरुषों के साथ लैंगिक रूप से भेदभाव करते हैं। ऐसे कानूनों में पुरुषों का सबसे ज्यादा आक्रोश आईपीसी की धारा 498ए और धारा 376 को लेकर है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और सीआरपीसी की धारा 125 को भी लेकर पुरुषों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उनके पक्ष को अनसुना करके फैसले किए जाने के प्रावधान बना दिए गए हैं।

देशभर में 498ए यानी पत्नी के खिलाफ पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता के मामले में पांच लाख से भी अधिक मामले लंबित हैं। अगर इससे संबंधित घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता, तलाक जैसे अलग-अलग चल रहे मुकदमों

को जोड़ लिया जाए तो लंबित मामलों की संख्या 10 लाख से ऊपर होगी। इन सभी मामलों में कथित आरोप पर ही सालों मुकदमा झेलना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने 2010 में ही प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड सरकार के वाद में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि 498ए की तरह पतियों की क्रूरता के लिए भी समान प्रभावे को कानून बनाया जाय। अगर इस दिशा में कदम उठाया गया होता तो आज शायद पुरुष आयोग की मांग नहीं उठती।

हाल ही में आईपीसी 497 पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ बताया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह विचार कि पुरुष हमेशा व्यापारिक की पहल करता है और स्त्रियाँ हमेशा ही पीड़ित होती हैं, पुराना हो चुका है। आईपीसी के इस अधिनियम को खारिज करने के दो महत्वपूर्ण आधार थे। पहला कि इसमें किसी विवाहित महिला से किसी पुरुष द्वारा स्वेच्छा से यौन संबंध होने पर केवल पुरुष को सजा देने का प्रावधान था, दूसरा पति की इच्छा से इस तरह का कोई संबंध अपराध के दायरे से बाहर था। दोनों आधारों पर यह लैंगिक रूप से भेदभावकारी था, क्योंकि एक तरफ पुरुष पर एकतरफा कार्रवाई का प्रावधान था जबकि दूसरी तरफ पति को पत्नी के ऊपर मालिकाना हक दिया गया था।

सवाल यह भी है कि जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) ए में क्रूरता के आधार पर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं तो 498ए में क्रूरता केवल पति

और उसके नातेदार ही कैसे कर सकते हैं? इस आधार पर 498ए लैंगिक रूप से न केवल भेदभावकारी है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में 'एडल्ट मेल पर्सन' में से एडल्ट मेल को हटाकर जेंडर न्यूट्रल बनाया तो 498ए में अपराध को दो लैंगिक वर्ग में बाँटकर यह कैसे कल्पना की गई कि एक वर्ग क्रूरता कर सकता है और दूसरा नहीं। आज भी 498ए के संवैधानिकता वैधता के सवाल हमारे सामने खड़े हैं?

दरअसल समस्या लैंगिक रूप से भेदभावकारी कानून है और उसका हल जेंडर न्यूट्रल कानून है, जबकि लोग उसका समाधान पुरुष आयोग में खोज रहे हैं। पुरुष आयोग या समान प्रभाव का कानून लाने से परिवार और वैवाहिक संस्था आज से ज्यादा कोर्ट और आयोगों में उलझकर रह जाएगी। इसका समाधान वैवाहिक, पारिवारिक और यौनाचार से जुड़े मामलों के लिए जेंडर न्यूट्रल 'राष्ट्रीय परिवार आयोग' बनाने में है न कि अलग-अलग महिला और पुरुष आयोग। जिस तरह हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी 497 और धारा 377 में रिश्वत को लैंगिक भेदभाव की जकड़न से बहुत हद तक रिलीफ दिया है, उसी तरह आज इस बात की भी जरूरत है कि पारिवारिक और वैवाहिक कानूनों में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए।

समान लिंगियों के प्रति आवहमक एवं शारीरिक आकर्षण को समलैंगिकता कहा जाता है और इसके आधार पर देखे वाले विवाह को समलैंगिक विवाह कहते हैं। उदाहरण- स्वरूप - महिला - महिला तथा पुरुष - पुरुष के मध्य दुनिया के अधिकांश समाज में इस प्रकार के संबंध को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है और वैसे अनैतिक तथा सामाजिक कलंक के रूप में व्याख्यायित किया गया है।

पौरन रूढ़ियों की पूर्ण प्राप्ति की मूल प्रवृत्ति रही है परंतु इसका भी निवारण समाज द्वारा ही किया गया है। तथा विपरीत लिंगियों के मध्य संबंध को ही प्राकृतिक माना गया है क्योंकि इससे संतानों की उत्पत्ति के माध्यम से समाज की निरंतरता प्रदान की गयी है। अतः समाज के विकास का प्राथमिक स्वर धार्मिकता आधारित रहा है अतः धर्म की भी इस प्रकार की प्रवृत्ति को अनैतिक बताया है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी क्रमशः ही वे सभी धर्मों में समलैंगिकता को सदैव समाज हेतु दुष्प्रकाशीत्व माना है।

भारतीय दण्ड संहिता की

द्वारा उक्त समलैंगिकता को अप्राकृतिक यौनाचार्य मानते हुए इसे अपराध के रूप में घोषित करती है और इसके लिए दण्ड का प्रावधान है। वर्ष 2009 में दिल्ली म.स. में नाज फाउण्डेशन के द्वारा वायर प्रोटेक्शन की सुनवाई के दौरान दिल्ली म.स. ने इस अपराध पुनः एवं गैर-कानूनी की घोषणा से हटा दिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान स.स. ने अपने निर्णय में

IPC की धारा 317 के अनुसार समलैंगिकता का अपराध घोषित करते हुए इसके लिए दण्ड की व्यवस्था जाती रखी।

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया और निजता की पारिधि में पौरुष उन्मुखता का भी शामिल किया अर्थात् कोई भी व्यक्ति जैसों संबंधों की स्थापना एवं स्वतंत्र है और यह उसके निजी जीवन का मामला है उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में अनु. 13 के आधार पर समलैंगिकता संबंधित IPC धारा 317 का जो F.R के हसन का मामला मानते हुए स. 3 से हटाने की मांग की जा रही थी अतः SC ने sep. 2018 में अपने फैसले में समलैंगिकता का अपराध- मुक्त घोषित किया है। न्यायालय का कहना है कि यदि दो पुरुष व्यक्तियों की आपसी सहमति से इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं तो यह उनके निजी संबंध से संबंधित मामला है अतः इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

—x—

I.P.C 497 & Cr.P.C. 198(2)

प्रातिष्ठा हत्या (Monogamy Killing)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ-साथ एक मनोवैज्ञानिक प्राणी भी है अर्थात् ऐसी भी मनुष्य को सम्मान, पुरस्कार, दण्ड तथा सामाजिक बाह्यकार का व्यापक प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रत्येक समाज में विवाह जैसी संस्था का अस्तित्व है जिसे संचालित करने हेतु कुछ सामाजिक नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है अपेक्षित होता है और इन नियमों के पालन न करने की विधायी-धर्म समाज द्वारा उसका बाह्यकार सख्त दण्डित किया जाता है। प्रातिष्ठा हत्या विवाह संबंधित विवेधों का पालन न करने के कारण की जाने वाली हत्या है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रातिष्ठा एवं परंपरा को संरक्षित करना है।

भारत के कुछ प्रमुख राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, पंजाब उत्तर-प्रदेश, दिल्ली राजस्थान के कुछ भाग में इस प्रकार की घटनाओं की अधिक उपस्थिति देखी गयी है जिसके पीछे स्थानीय जातीय-पंचायत (खास पंचायत) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य रूप से सागोत्र विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह संबंधित विवेधों के उल्लंघन के कारण इस प्रकार की घटनाएं देखी गयी हैं।

प्रातिष्ठा हत्या के कारण :-

- (i) विवाह संबंधित विवेधों का उल्लंघन।
- (ii) निकट संबंधियों विवाह से स्वतंत्र संबंधित विवेध अशुभ।
- (iii) की अवैधानिक धारणा।
- (iv) धैर्यसत्तात्मक तथा सामंतवादी प्रवृत्ति।

- ② आप पंचायत का पंचलन
- ③ विधि एवं शासन व्यवस्था की असफलता
- ④ जातीयगत पहचान खत्म होने का अर्थ


सर्वोच्च न्यायालय का प्रांतिष्ठा संबंधित मामलों पर फैसला :

न्यायमूर्ति माकीजेय काटज़ एवं अन्य सुझावों की स्वीकृति के प्रांतिष्ठा में हत्या से संबंधित अपने ऐतिहासिक फैसलों के तमाम बातों को रखा है -

- प्रांतिष्ठा हत्या में कुछ भी प्रांतिष्ठा अन्य नहीं है बल्कि यह एक सशस्त्र संघर्ष द्वारा की गयी खतरा एवं हत्या है जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि गैर-जातीय एवं असंबंधात्मक है
- यह निम्नलिखित 2 के वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और इसके साथ साथ यह IPC की धारा 299 & 302 के अंतर्गत नरसंहार के स्वरूप में गणित है
- इसमें शामिल व्यक्ति को न्याय से न्याय्यतम (reasonable) अपराध की धोखी में रखकर इसके लिये हत्ये की व्यवस्था होनी चाहिए।
- न्यायालय का संबंधित राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि इस प्रकार के वर्ण मामलों पर कौन कार्यवाही करे एवं इसे तत्काल रोक जाये।

संयुक्त परिवार व्यवस्था

परिवार का वर्गीकरण



Ques : संयुक्त परिवार का अर्थ, विशेषता, संरचना एवं कार्य में परिवर्तन, गुण/दोष, महत्व, परिवर्तन के कारण

संयुक्त परिवार :

परिवार का ऐसा स्वरूप जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जिनकी साझी सम्पत्ति, साझी संपत्ति हो, संयुक्त परिवार कहलाता है। भारतीय समाज की धार्मिक प्रवृत्ति एवं कृषक सामाजिक संरचना के कारण परिवार का ^{संयुक्त} स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है। भारतीय संदर्भ में परिवार का अर्थ ही संयुक्त परिवार से है। इसमें आदियों से भारतीय समाज के मूल्य, संस्कृति तथा परम्परा, उपा, जीवनशैली—आदि को अपने सदस्यों में समाजीकरण की शक्ति के तहत जालकर समाज को निरंतरता प्रदान की है। इसके मुख्य कार्य निम्न हैं :-

- (i) संतानों का बालन-पालन।
- (ii) सदस्यों को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान
- (iii) सदस्यों के मध्य आन्तरिक लगाव को बढाना।
- (iv) धार्मिक तथा मनोरंजात्मक कार्य।
- (v) सदस्यों को एक सामाजिक पहचान प्रदान करना।
- (vi) सदस्यों का सामाजिकरण करना।

विशेषताएँ :

- परिवार का बड़ा आकार।
- आधिकारिक वित्तसाधक
- साक्षी संपत्ति
- धार्मिक मूल्यों की प्रधानता।
- विभिन्न सदस्यों के मध्य आर्थिक आधारों पर निर्भरता।
- साक्षी रसोई।

परिवार एवं सहस्रणी (Household) में difference
blood or marriage related (as wife) P.g. (common kitchen)

संयुक्त परिवार के दोष :

- महिलाओं की अपेक्षाकृत निम्न शिक्षा।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा।
- संपत्ति सम्बन्धित विवादों की अधिकता।
- मुखिया की तात्कालिकता।
- धरल हिंसा व कलह की उपस्थिति।

संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाले कारक

- औद्योगिकीकरण व नगरीकरण जाति परिवर्तन।
- महिलाओं की सामाजिक शिक्षा के सुधार।
- व्यक्तिवादी मूल्यों की प्रधानता।
- वैश्वीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं का प्रभाव।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगरीय जीवन शैली के आकर्षक के कारण प्रवृत्ति।

महत्व: 1. पिछले 3-4 दशकों में सामाजिक-आर्थिक विकास की शक्तिशाली के कारण संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन आया है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार का संकट कृषि का विह्वलन तथा वैकल्पिक रोजगारों की अनुपलब्धता व नगरीकरण की समस्या की

जो बड़ा दिमाग जिसमें संयुक्त सं- परिवार की संरचना परिवारित होती है १ नाभिक परिवार की संरचना में बदलती है।

इसमें कोई बात नहीं कि आर्थिक कारक संयुक्त परिवार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वरन् इन सबके बावजूद संयुक्त परिवार, सामाजिक प्रयोगों की अधिकव्यक्ति है। नतीजा यह है कि भारत के कुछ समूह प्रदेशों में आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं के बावजूद भी का यह प्रधान स्वरूप संयुक्त परिवार ही है।

भारतीय संघ में अधिक परिवार व्यवस्था के अधिक परिवार की भिन्न हैं क्योंकि यह अपनी संयुक्तता की भावना के साथ अपने पूर्व परिवार की भावना है और प्रतीक होने में आज भी संयुक्त परिवार ही अधिकतर अपनता है।

भारतीय समाज के दार्शनिक आधार :-

